





बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
शुद्धि-पत्र


परियोजना दरभंगा रेलवे ओवर ब्रीज निर्माण हेतु मुहल्ला-कटहलवाड़ी के वार्ड सं०-7, 8 एवं 9 में कुल अर्जित भूमि के पुरानी भू-अर्जन अधिनियम 1894 तथा संशोधित अधिनियम 1984 के तहत धारा-4 अन्तर्गत अधिसूचना, धारा-6 के अन्तर्गत अधिघोषणा एवं 7/17(1) की स्वीकृति क्रमशः विभागीय पत्रांक 2572/रा०, दिनांक 06.12.2007 एवं पत्रांक 2577/रा०, दिनांक 10.12.2007 तथा पत्रांक 718/रा०, दिनांक 18.04.2008 के द्वारा निर्गत है, में अंकित कुल अर्जनाधीन रकवा-1.170 हे०, अर्थात् 2.026 एकड़ के स्थान पर रकवा-1.175 हे०, अर्थात् 2.901 एकड़ अंकित होना तथा वार्ड सं०-7 में खेसरा नं०-907 के ठीक बाद खेसरा सं०-230, 483 एवं 484 अंकित होना पढ़ा जाय तथा तदनुसार इस हद तक संशोधित समझा जाय।


अमीन,
15/7/14


अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।


अपर समाहर्ता
दरभंगा।


स मा ह र्ता
दरभंगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

९०/-

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं० - 15/डी०एल०ए०, दरभंगा-01/2007-.....259...../रा०, पटना- दिनांक-12-03-15-

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियां सी० डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।